न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 83/2023 निर्णय दिनांक :–18.03.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

राजकुमार पुत्र सुन्दरा जाति खटीक निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

– अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 ता 3 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 166 खतरा नम्बर 567 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम लाखोलाई पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। अप्रार्थीगण 2 ता 3 को उक्त वर्णित आराजीयात के सहखातेदारान होने से पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 प्रार्थी के भाई है। उक्त आराजी भूमि की सहखातेदार नानगी पत्नि सुन्दरा की मृत्यु हो चुकी है तथा मृतक नानगी के वारिस प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सख्या 2 व 3 है। प्रार्थी के पिता सुन्दरा की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद उनका फोती नामांतकरण खोला गया उसमे सहवन से प्रार्थी का नाम अंकित करने के बजाय राजकंवर पुत्री सुन्दरा अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी के पिता सुन्दरा के राजकवर नाम की कोई पुत्री नहीं है। आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम राजकुमार पुत्र सुन्दरा अंकित है। उक्त वर्णित भूमि मे प्रार्थी के नाम की जगह राजकंवर पुत्री सुन्दरा राजस्व रिकार्ड में अंकित है जो गलत है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं होने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है तथा राज्य व केन्द्र सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है तथा ना ही ऋण प्राप्त

Scanned with OKEN Scanner

कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम न्यायहित मे राजकुमार पुत्र सुन्दरा अंकित किया जाना एवं राजकवर पुत्री सुन्दरा का नाम विलोपित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी हाल खाता संख्या 166 खसरा नम्बर 567 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम लाखोलाई पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला टोक राज0 मे राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का नाम राजकुमार पुत्र सुन्दरा अंकित किये जाने एवं राजकंवर पुत्री सुन्दरा का नाम विलोपित किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में पेश किया गया है जो इस प्रकार है– प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 01 ता 06 सही है, स्वीकार है। अप्राथर्थी व प्रार्थीगण के कोई बहिन नहीं है राजकवर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि प्रार्थी राजकुमार है जो अप्रार्थी का भाई है। राजकंवर के स्थान पर राजकुमार कर दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार ने अपना जवाब/रिपोर्ट पेश किया जो इस प्रकार है– ग्राम लाखोलाई प0म0 राजमहल–11 के आराजी खसरा नम्बर 567 रकबा 0.35 है0 में दर्ज खातेदार सुखदेव, छीतर, राजकवर पिता सुन्दरा व नानगी बैवा सुन्दरा 1/5 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। सुन्दरा पिता बरदा खटीक ग्राम राजमहल का निवासी था इसकी मृत्यु उपरान्त सम्वत् 2046–49 पूर्व ही हो चुकी थी। जिसके वारिसान की स्थित्ति इस प्रकार है – सुखदेव छीतर राजकुमार पुत्र संतोष कजोडी पुत्री नानगी बेवा सुन्दरा खटीक है। प्रार्थी राजकुमार सुखदेव छीतर पुत्र संतोष कजोड़ी पुत्री नानगी पत्नि ही वारिस है राजकंवर नाम की कोई पुत्री नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो का ही दोहरान किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत सम्वत 2073–76 के खसरा नम्बर में है राजकवर पुत्री सुन्दरा हिस्सा 1/20 दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी की प्रार्थना है कि सुन्दरा पि0 बरदा के वारिसान में राजकंवर नाम की कोई पुत्री नहीं है। सुन्दरा के पुत्र राजकुमार को राजस्व कार्मिको ने राजकंवर कर दिया जो दुरूस्त योग्य होने से दुरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पंचायत समिति सदस्य का प्रमाण पत्र दिनांक 23.11.23, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या आर जे/13/092/297420, परिवार राशन कार्ड संख्या 00283, आधार कार्ड सख्या 406770742896, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंक तालिका, 1992 में प्रार्थी का नाम राजकुमार पुत्र सुन्दरा के नाम का अंकन है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार सुन्दरा पि0 बरदा के वारिसान में राजकंवर नाम की कोई पुत्री नहीं है।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है राजस्व कर्मचारियों से सहवन से राजकुमार पुत्र सुन्दरा के स्थान पर राजकंवर पुत्र सुन्दरा का इन्द्राज हो गया, जिसे शुद्ध किये जाने योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार देवली का आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख. नं. 567 रकबा 0.35 है० में दर्ज राजकंवर पुत्री सुन्दरा के बजाय राजकुमार पुत्र सुन्दरा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करे।

निर्णय दिनांक 18.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/3/24

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner